राजनीति व्यवस्था से अपराधीकरण को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

फैसले के महत्वपूर्ण पहलू

- उच्चतम न्यायालय ने दागी राजनेताओं को उपलब्ध होने वाली कानूनी राहत खत्म कर दी है।
- किसी आपराधिक मामले में सजा के बावजूद राजनेता को अपात्र घोषित नहीं किए जाने वाले कानूनी प्रावधान को हटा दिया है।
- एक बार किसी मामले में दो वर्ष अथवा इससे अधिक की सजा होने पर सांसद/विधायक को पद से हटना होगा।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) के तहत किसी उच्चतर अदालत में अपील दायर कर सजा पाए राजनेताओं का पद पर बने रहना असंवैधानिक है।
- न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार का कानून बनाना संसद की शक्तियों से बाहर है क्योंकि विधान में दागी सांसदों/विधायकों को अपात्रता से बचाने का कोई प्रावधान नहीं है।
- यह निर्णय आदेश पारित होने के बाद मिलने वाली सजा पर लागू होगा और लंबित अपीलों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आशय यह है कि जिन राजनेताओं ने इस निर्णय से पहले ही अपनी सजा के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है उन पर इसका प्रभाव नहीं होगा।
- इस फैसले में एक आम व्यक्ति और जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि के बीच भेदभाव को दूर करने की बात कही गई है।